लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटना के 14 दिन बाद आरोपियों को दबोचा

सादुलपुर, (निसं)। हरियाणा सीमा के निकट तहसील के गांव खैरू बडी चौराहे पर जीप को जीप से टक्कर मारने तथा तथा लोहे की रॉड से ताबडतोड जानलेवा हमला करने के मामले में फरार तीन आरोपियों को हमीरवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना 14 दिनों बाद फरार तीन आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है।

थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि रणधीर सिंह जाट उम्र 44 साल निवासी खैरू बडी तहसील राजगढ ने मामला दर्ज करवाकर कर बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर 2०24 को करीब सुबह ०8 बजे उसका भाई अमीर सिंह तथा चाचा का लडका नरेश तथा उसकी दुकान में काम करने वाले मनीराम तथा गांव का ही धर्मपाल जांगिड आदि जीप डीआई में सवार होकर बहल हरियाणा में स्थित अपनी दुकान पर जा रहे थे। गांव से निकलकर शिव मंदिर के पास चौराहे पर पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाकर एक पिकअप बिना बॉडी

हरियाणा सीमा के पास गांव खैरू बडी चौराहे पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार 3 आरोपियों गिरफ्तार किया।

बिना नंबरी काले शीशे रंग सफेद ओर आगे पीछे बंपर लगा हुआ खडी थी। जिसके चालक ने अपनी पिकअप जीप से उसकी जीप को सीधे टक्कर मारी। तथा उनकी जीप से दो लडके हाथों में लोहे की रॉड लिए उतरे तथा एक रॉड पहले से नीचे खडे लडके को भी दे दी। फिर पिकअप जीप में बैठा चालक ने अपनी पिकअप जीप से उसकी जीप को लगातार टक्कर मारने लगा। तथा तीनों लडकों ने रॉड से ताबडतोड जानलेवा हमला करने लगे तथा शोर शराबा करने पर आरोपी फरार हो गए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण हर संभावित जगहों पर पुलिस ने दबिश दी। हर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। तथा प्रकरण में शामिल आरोपी विजेंद्र उर्फ पिंकू पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल उम्र 34 साल निवासी सोरडा जदीद थानां बहल जिला भिवानी हरियाणा, तथा तुषार उर्फ लाला पुत्र योगीराज जाट उम्र 21 साल तथा गौरव उर्फ खट्टर पुत्र राधेश्याम नायक उम्र 21 साल निवासी बिशनपुरा पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां देने के 4 मामले दर्ज

जोधपुर, (कासं)। देश भर में असामाजिक तत्वों की ओर से हवाई जहाज को उड़ाने की धमकियों के बीच जोधपुर में भी आने वाली और जाने वाली फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकियां देना अब आम बात हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब चार अलग अलग प्रकरण पुलिस में दर्ज करवाए है। जिस बारे में पुलिस निरीक्षक हनुमानसिंह की तरफ से तफ्तीश की रही है। सिविल एयरपोर्ट जोधपुर के मैनेजर नरेन्द्र सिंह बांकावात ने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर को दोपहर सवा एक बजे अज्ञात व्यक्ति ने एक्स हैंड पर पुणे से जोधुपर आने वाली इंडिगो फ्लाइट नम्बर 6 ई 133 को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी तरह 22 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे अज्ञात व्यक्ति ने जी-मेल पर हैदराबाद से जोधपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6 ई 297 को बम से उड़ाने की धमकी दी। 24 अक्टूबर को जी-मेल पर पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट नम्बर 6 ई 133 को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा चौथी बार में 25 अक्टूबर को धमकी गई थी। इस पर सहायक मैनेजर सिक्यूरिटी राजेन्द्र सिंह भंडारी ने मामला दर्ज करवाया। इनके अनुसार 25 अक्टूबर को दोपहर के समय अज्ञात व्यक्ति ने एक्स टिव्टर पर पुणे से जोधुपर आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6 ई 133 को बम से उड़ाने की धमकी दी।

60 कार्टूनों में भरी हरियाणा निर्मित शराब बरामद

ददरेवा में पुलिस ने रिहायसी मकान में दबिश दी

नाकाबंदी के दौरान पुलिस को मिली सूचना पर ददरेवा गांव में स्थित एक रिहायशी मकान में अवैध शराब सहित गिरफ्तार आरोपी राजकुमार धाणक ।

सादुलपुर, (निसं)। दीपावली पर्व अंतर्गत नाकाबंदी के दौरान पुलिस को मिली सूचना पर ददरेवा गांव में स्थित एक रिहायशी मकान में पुलिस ने दबिश देकर हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की तथा मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

सोमवार शाम चार बजे थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझडिया ने बताया

■ **एक आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज**

कि नाकाबंदी के दौरान एस.आई. पप्पू राम मीणा को सूचना मिली।

जिस मीणा ने पुलिस दल के साथ ददरेवा गांव की आबाद बस्ती में स्थित एक रिहायसी मकान पर दबिश दी। मकान के अंदर एक कमरे मे 6० कार्टूनों में भरी हरियाणा निर्मित शराब की कुल 516 बोतलें और 84० पव्वे बरामद करने की कार्रवाई की। तथा मामले में पुलिस ने 35 वर्षीय राजकुमार धाणक को गिरफ्तार किया है, तथा आरोपी के खिलाफ पहले भी शराब तस्करी के मामले है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवैध देशी शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटपूतली। जयपुर रेन्ज आईजी अजयपाल लाम्बा द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्थानीय पुलिस थाना द्वारा प्रभावी कार्रवाई की। अभियान के अन्तर्गत एसपी राजन दुष्यन्त द्वारा अधिक से अधिक एवं प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिस पर एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन व डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरडक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया ।

टीमों द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करते हुये विश्वसनीय सूत्रों से सूचना संकलन कर गत रविवार को मुल्जिम के कब्जे से कुल 48 पव्वे देशी घुंघरु सादा मदिरा शराब को बिना लाईसेंस के कब्जे में रखने तथा बेचान करने पर मुल्जिम रवि कुमार (32) पुत्र धुणाराम कंजर निवासी कंजर बस्ती गोपालपुरा को गिरफ्तार किया।

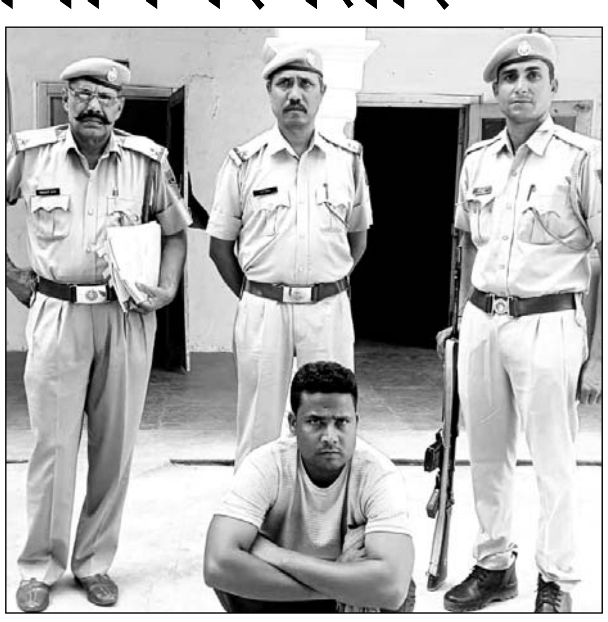

पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकाले

जयपुर। सोडाला थाना इलाके में एक युवक ने एटीएम से छेडछाड कर उसमें से रुपए निकाल लिए। घटना के सम्बंध में एक पीडित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार पीलवा लोहागढ निवासी सुरेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि वह रामनगर किराए से रहता है। वह रामनगर स्थित एटीएम पर रुपए निकालने गया था। उसने एटीएम से 10 हजार रुपए निकाल लिए। इसी दौरान एक युवक जल्दबाजी में आया। उसे देखकर वह एटीएम से बाहर गया। आरोपी युवक ने एटीएम से छेडखानी की और उससे कुछ रुपए भी निकाल लिए। युवक के जाने के बाद वह वापस एटीएम में रुपए निकालने घुसा। उसने फिर से दस हजार रुपए निकाले। इस पर एक नोट मशीन में अटक गया और कुछ नोट टेड मेडे आए। उसने एटीएम से रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं निकला। इस पर वह वहां से चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे वह युवक फिर से मिला जिसने मशीन से छेड़छाड की थी। युवक फिर से एटीएम में आया।

5 लाख की अवैध शराब से भरी लग्जरी कार जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

डूंगरपुर। धंबोला थाना पुलिस ने गुजरात से सटे पुनावाडा चेक पोस्ट पर एक लग्जरी कार से 5 लाख की अवैध शराब पकडी है। कार ड्राइवर को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब की तस्करी कर गुजरात ले जा रहा था।

धंबोला थानाधिकारी ने बताया कि चौरासी विधानसभा उपचुनावों की आचार संहिता के तहत अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती की जा रही है। गुजरात से सटे बॉर्डर पर गाडियों की तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान पुनावाडा बॉर्डर पर रविवार रात को गुजरात नंबर की एक लग्जरी एसयूवी कार को रूकवाया। कार की तलाशी में अवैध शराब भरी हुई मिली। कार ड्राइवर के पास शराब ले जाने के कोई कागजात भी नहीं थे। जिस पर पुलिस ने शराब के साथ कार को जब्त कर लिया। कार से 75 पेटी शराब मिली है। जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं, शराब तस्करी कर

धंबोला पुलिस ने गुजरात के पुनावाडा चेक पोस्ट पर एक लग्जरी कार से 5 लाख की अवैध शराब पकड़ी।

रहे कार ड्राइवर भंवरलाल पुत्र मादुजी मीणा निवासी खाखल धूणी थाना सराडा जिला सलूंबर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब को अवैध रूप से तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

प्रियंका बिश्नोई की मृत्यु के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, कार्रवाई पर उठाए सवाल

जोधपुर, (कासं)। सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में सोमवार को समाज के लोगों और परिजनों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने अस्पताल और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तीन दिन पहले ही कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। प्रियंका विश्नोई के ससुर सहिराम बिश्नोई ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।

ज्ञापन में बताया गया कि गत पांच सितंबर को प्रियंका बिश्नोई को वसुंधरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने प्रियंका को एक सामान्य बीमारी बताकर भर्ती किया, लेकिन उसके बाद, उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। न्यूरोलॉजिस्ट ने सीटी स्कैन करने का परामर्श दिया था, जो एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके बावजूद यह टेस्ट नहीं किया गया। टेस्ट न करने का कोई ठोस कारण भी परिवार को नहीं दिया गया, जिससे अस्पताल की मंशा पर सवाल उठता है। प्रियंका बिश्नोई की हालत बिगड़ने पर उन्हें सात सितंबर को अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने रिपोर्ट की जांच के बाद स्पष्ट किया कि मरीज को 'हेमरेज' था, जिसका पहले उचित उपचार नहीं किया गया।

सिम्स अस्पताल में इस बात की पुष्टि हुई कि वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति के बावजूद उचित परीक्षण और उपचार नहीं किया था। इस दौरान परिवार को मरीज की असल स्थिति के बारे में भी अंधेरे में रखा गया। प्रियंका की मौत के बाद, इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पाया गया कि वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति के बावजूद उसे उचित उपचार नहीं दिया। रिपोर्ट में उल्लेख है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद आवश्यक इलाज नहीं किया गया, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ गई।

न्यूरोलॉजिस्ट के परामर्श के बावजूद सीटी स्कैन न कराना भी एक गंभीर लापरवाही का संकेत है। वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ के पास यह जानकारी थी कि उनके उपचार में की गई लापरवाही से प्रियंका की जान जा सकती है। इसके बावजूद उन्होंने इस लापरवाही को छिपाने का प्रयास किया। परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस ने इस गंभीर मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। सवाल उठाया कि यदि सहायक कलेक्टर की मृत्यु पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो आम जनता के मामले में न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इस पर कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन को आदेश दिया था कि डॉक्टर संजय माकवाना, डॉक्टर रेनू माकवाना, और वसुंधरा हॉस्पिटल के अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। अब परिजनों व समाज के लोगों ने प्रियंका बिश्नोई की संदिग्ध मृत्यु के मामले में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

1.57 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.57 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पीड़ित से 56550 कैरेट के 11 किलो 300 ग्राम रफ पन्ने लिये थे। इसके बाद आरोपी ने अपनी फर्म बंद कर फरार हो गया था। इस संबंध में पीडित ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया था।

थानाधिकारी राजेन्द्र गोदारा ने बताया कि पीडित सचिन तांबी ने खुद के साथ हुई 1 करोड़ 57 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मामला दर्ज करवाया था कि आरोपित हेमंत अजमानी और उसकी पत्नी मेघा ने

■ **आरोपी ने पीड़ित से 56550 कैरेट के 11 किलो 300 ग्राम रफ पन्ने लिये थे**

राजापार्क में एक फर्म मैसर्स अमृत इमपैस के नाम से खोल रखी थी। आरोपी हेमंत ने मोबाइल पर पीड़ित से सम्पर्क किया और रफ पन्ने की डिमांड की। आरोपी ने पीड़ित को विश्वास में लेकर 1 करोड़ 57 लाख रुपए के 11 किलो 310 ग्राम पन्ने ले लिए। आरोपी ने कुछ समय तक पैसा नहीं दिया।

पीड़ित ने उसे फोन पर सम्पर्क किया। पहले कुछ समय तक पीड़ित निरंतर पैसे जल्द देने की बात करता, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने फोन कर लिया। इस पर पीड़ित सचिन तांबी आरोपी के फर्म पहुंचा तो पता चला कि आरोपी ने कुछ समय पहले ही फर्म बंद कर दी है। इस पर सचिन तांबी की ओर से मार्च 2024 में हेमंत अजमानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने उस की तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश भी दी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने आज मुखबिर से मिली जानकारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने सात जनों को गिरफ्तार किया

तीन स्थाई वारंटी व 4 गिरफ्तारी वारंटियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया ।

निवाई। निवाई पुलिस ने तीन स्थाई वारंटी व 4 गिरफ्तारी वारंटियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्थाई वारंटी कीर कॉलोनी निवासी मदनलाल कीर, टाल वालों का मोहल्ला निवासी सुल्तान अहमद व जैन फाईनेंस के पीछे स्थित जैन कॉलोनी निवासी अमित जैन को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार गोपालपुरा उर्फ दहलोद की ढाणी निवासी रमेश बैरवा, यादव गोपालपुरा झिलाय निवासी गिर्राज यादव, खोडा का खेडा निवासी हेतराम जाट व पटवार घर के पीछे निवाई निवासी प्रदीप बैरवा को गिरफ्तार किया है।

मुस्लिम महापंचायत में फूटा कांग्रेस के प्रति आक्रोश

'जब तक टिकट नहीं तब तक वोट नहीं'

झुंझुनूं, (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित ईदगाह मैदान में मुस्लिम न्याय मंच द्वारा आयोजित मुस्लिम महापंचायत में मुस्लिम समाज ने कांग्रेस का बहिष्कार किया। वक्ताओं ने कांग्रेस पर भेदभाव एवं वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया।

मुस्लिम न्याय मंच के संयोजक इमरान बडगुजर ने झुंझुनूं विधानसभा से आए हुए तमाम मुस्लिम समाज के लोगों का स्वागत किया। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने कहा कि मैं समाज के साथ खडा हूं। मेरे लिए मेरी कौम और मेरा समाज मेरी प्राथमिकता है। चोपदार ने सांसद बृजेंद्र ओला पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमित ओला एक ऐसा उम्मीदवार है। जिसे यही नहीं पता कि मैं कांग्रेस द्वारा चेयरमैन हूं या बीजेपी द्वारा। उन्होंने मुझे मुस्लिम समाज का ठेकेदार कहा है। जबकि मैं समाज का ठेकेदार नहीं सेवक हूं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के वफादार रहे

झुंझुनूं जिला मुख्यालय स्थित ईदगाह मैदान में मुस्लिम न्याय मंच की ओर से मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया गया।

है। जबकि आपने समय-समय पर कांठोस के साथ गद्दारी की है। पूर्व जिला कलेक्टर अशफाक हुसैन ने अपना नामांकन वापिस लिया और कहा कि मैं हमेशा समाज के साथ खडा हूं और समाज जो निर्णय करेगा मैं उसके साथ हूं। सभा को मकबूल हुसैन पार्षद ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने झुंझुनूं में हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य रहा है कि मुस्लिम समाज को राजनीतिक आधार पर कमजोर किया जाए।

खादिम खोखर ने कहा कि मुस्लिम समाज इस उपचुनाव में कांठोस का बहिष्कार करता है तथा अपने वजूद को बचाने के लिए संपूर्ण मुस्लिम समाज को एक होना पडेगा। निसार भारू, गुलाम हुसैन, उस्मान पठान, इब्राहिम खान, आलम शेर एवं शकील फौजी आदि ने भी संबोधित किया। महापंचायत में पार्षद जब्बार फूलका, मुफ्ती इमरान, पार्षद इशाक फूलका, नजर इमाम, हाफिज जकी, मौलाना रिजवान, मौलाना शोयब, मौलाना मोहम्मद, मौलाना शकरूदीन, गुलाबनबी दानका, अलादीन, डॉ. युनूस, आबिद अली, इरफान खान, इमरान राईन, बबलू चोपदार, अकरम चोपदार, युनूस चोपदार, यूनुस रंगरेज, लतीफ खानजादा, मो. शरीफ, जाकिर हुसैन, शफीक अहमद, अब्दुल नयुम सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजहर हुसैन ने किया।